संख्या वी. 11025/04/2017-एमईपी
भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
****

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक 16 नवंबर, 2017

सार्वजनिक सूचना

भारतीय चिकित्सा परिषद के भारतीय चिकित्सा परिषद (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार तथा नीति) विनियमावली, 2002 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। किसी पंजीकृत चिकित्सा प्रेक्टिशनर के किसी कदाचार पर कार्रवाई करने के लिए, उक्त विनियमावली में निम्नलिखित कार्य प्रणाली है:

- पंजीकृत भारतीय चिकित्सा परिषद के अंतर्गत किसी चिकित्सा प्रेक्टिशनर द्वारा किसी व्यावसायिक कदाचार के मामले में जांच प्रारंभ करने और कार्रवाई करने के लिए अपीलकर्ता संबंधित राज्य चिकित्सा परिषद को शिकायत कर सकता है। शिकायत प्राप्त होने पर राज्य चिकित्सा परिषद एक जांच आयोजित करेगी और प्रतिवादी/अधिवक्ता को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देगी।

- दोषी चिकित्सक के विरूद्ध शिकायत पर निर्णय 6 महीने की समय-सीमा में लिया जाएगा। शिकायत के लंबित रहने के दौरान, राज्य चिकित्सा परिषद/आईएमसी दोषी चिकित्सक प्रक्रिया, जिसकी जांच चल रही है, का निष्पादन करने पर पाबंदी लगा सकती है।

- यदि चिकित्सा प्रेक्टिशनर व्यावसायिक कदाचार का दोषी पाया जाता है तो संबंधित राज्य चिकित्सा परिषद दोषी चिकित्सक को विनियम के अनुसार दंड दे सकेगी।

- जहां भारतीय चिकित्सा परिषद को सूचित किया जाता है कि राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा दोषी चिकित्सक के विरूद्ध किसी शिकायत पर उसे शिकायत प्राप्त होने की तारीख से 6 महीनों की अवधि के अंदर निर्णय नहीं लिया गया है, तो एमसीआई संबंधित राज्य सरकार को शिकायत को एक समयबद्ध सीमा में निराकरण करने और उस पर निर्णय लेने के लिए कह सकेगी अथवा संबंधित राज्य चिकित्सा परिषद में लंबित उक्त शिकायत को सीधे एमसीआई द्वारा निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद स्वयं सीधे वापस लेने का निर्णय ले सकती है और इसे परिषद की नीति समिति को भारतीय चिकित्सा परिषद के कार्यालय में शिकायत प्राप्त होने की तारीख से अधिकतम 6 महीनों की अवधि के अंदर शीघ्र निपटान के लिए भेजेगी।

- किसी दोषी चिकित्सक के विरूद्ध किसी शिकायत पर राज्य चिकित्सा परिषद के निर्णय द्वारा प्रभावित व्यक्ति को, उप चिकित्सा परिषद द्वारा पारित आदेश के प्राप्त होने की तारीख से 60 दिनों की अवधि के अंदर एमसीआई को अपील करने का अधिकार होगा। किंतु एमसीआई, यदि स्वयं संतुष्ट हो कि अपीलकर्ता को पर्याप्त करणों से उक्त 60 दिनों की अवधि के अंदर अपील प्रस्तुत करने से रोका गया था तो उसे अन्य 60 दिनों की अवधि के अंदर अपील करने की अनुमति दे सकेगी।

****